क्रम-संख्या—306

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 17 दिसम्बर, 2003

अग्रहायण 26, शक सम्वत् 1925

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1822/ सात-वि०–1–1(क)–33-2002

लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 16, दिसम्बर 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2003)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह 28 अक्टूबर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 में नई धारा 92-क और 92-ख का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, धारा 92 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

अमीन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

"92-क (1) किसी सहकारी समिति को देय किसी धनराशि की वसूली के लिये या धारा 92 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अभिनिर्णय, आदेश या वसूली के लिये प्रमाण-पत्र के निष्पादन की कार्यवाही में निर्गत किसी आदेशिका के निष्पादन के लिये उतनी संख्या में अमीन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जायगी जितनी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, अमीनों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है।"

सहकारी संग्रह निधि

"92-ख (1) एक निधि स्थापित की जायगी, जिसे "सहकारी संग्रह निधि" कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :—

(क) किसी सहकारी समिति को देय किसी धनराशि की प्राप्ति की वसूली का समस्त व्यय;

(ख) धारा 92 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अभिनिर्णय, आदेश या वसूली के लिये प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के निष्पादन का समस्त व्यय;

(ग) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार निदेश दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, देयों की वसूली से सम्बन्धित समस्त व्ययों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित रीति में किया जायगा। देयों की वसूली से सम्बन्धित व्ययों में, धारा 92-क के अधीन नियुक्त अमीनों और अन्य कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले कमीशन, वेतन, सेवानिवृत्ति के समय अवकाश-नकदीकरण, यदि कोई हो, उपदान, अन्य भत्ते, ऋण और अग्रिम, भविष्य निधि पर देय ब्याज और पेंशन भी, सम्मिलित होंगे।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

सहकारी अमीनों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में दाखिल रिट याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों और अपील पर दिये गये निर्णय के अनुपालन की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) को संशोधित किया जाय,—

(क) किसी सहकारी समिति को देय किसी धनराशि के संग्रह के लिये या उक्त अधिनियम की धारा 92 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अभिनिर्णय, आदेश या वसूली के प्रमाण-पत्र के

निष्पादन की कार्यवाहियों में निर्गत किसी प्रक्रिया के निष्पादन के लिये अमीनों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति;

(ख) अमीनों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियमों द्वारा विनियमित करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त करना;

(ग) सहकारी संग्रह निधि को स्थापित करना और उसका उपयोग करना।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 1822—(2)/VII-V-1—1 (KA)-33-2002
Dated Lucknow, December 17, 2003

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 16, 2003 :—

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2003

(U.P. Act No. 8 of 2003)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 28, 2002.

Insertion of new section 92-A and 92-B in U.P. Act no. 11 of 1966

2. *After* section 92 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Appointment of Amins and other staff

"92-A (1) There shall be appointed such number of Amins and other staff as may be determined by the State Government from time to time, for collection of an amount due to a Co-operative Society or for execution of a process issued in the proceedings of execution of an award, order or certificate for recovery under clause *(a)* or clause *(b)* of section 92.

(2) The State Government may by rules regulate the recruitment and conditions of service of Amins and other staff."

Co-operative Collection Fund

"92-B(1) There shall be established a fund, to be called the Co-operative Collection Fund to which the following amounts shall be credited, namely :—

(a) all costs of collection recovered on an amount due to a Co-operative Society ;

(b) all costs of execution recovered on an award, order or certificate for recovery under clause *(a)* or clause *(b)* of section 92;

(c) such other amounts as the State Government may direct.

(2) The fund established under sub-section (1) shall be utilized for meeting out all expenses relating to collection of dues in the manner as may be prescribed by rules to be framed by the State Government. The expenses relating to collection of dues shall also include payment of commission, salary, leave encashment at the time of retirement, if any, gratuity, other allowances, loans and advances, due interest on Provident Fund and pension to Amins and other staff appointed under section 92-A."

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) (Second) Ordinance, 2003 is hereby repealed. U. Or no. 20

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), or by the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 2002 or by the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2003 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times. U. Ord no. 200 U. P. Ordi no 9 2003

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to comply with the orders passed from time to time by the High Court in writ petitions filed in relation to the recruitment and service conditions of Co-operative Amins and other staff and the judgement pronounced on appeal thereon it was decided to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U. P. Act no. 11 of 1966) to provide for,—

(a) appointment of Amins and other staff for collection of an amount due to a Co-operative Society or for execution of a process issued in the proceedings of execution of an award, order or certificate for recovery under clause *(a)* or clause *(b)* of section 92 of the said Act;

(b) empowering the State Government to regulate by rules the recruitment and service conditions of Amins and other staff;

(c) establishment of the Co-operative Collection Fund and utilization thereof.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to ement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) nance, 2002 (U. P. Ordinance no. 18 of 2002) was promulgated by the Governor on October 28, 2002.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

R. B. RAO,

Pramukh Sachiv.

ी०एस०यू०पी०-ए०पी० 753 राजपत्र (हिन्दी)-(1804)-2003-597-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

ी०एस०यू०पी०-ए०पी० 209 सा० विधायी-(1805)-2003-850-(कम्प्यूटर/आफसेट)।